

(५६)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक १५ / ०९ / २०१६

क्रमांक एफ १०-१३/२०१३/१६ :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २७) की धारा २ की उपधारा (१) खण्ड (ड़.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ १०-१३/२०१३/१६, दिनांक ३०.१२.२०१३ में आंशिक संशोधन करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन एतद द्वारा कॉलम (२) में ५८ वें प्रवर्ग के रूप में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र०	कर्मकारों के प्रवर्ग
५८	निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्री रेत, ईट, गिट्टी, मुर्लम आदि की आपूर्ति करने वाले वाहन के वाहन चालक



पृष्ठांकन एफ १०-१३/२०१३/१६

प्रतिलिपि :-

१. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)
२. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)
३. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ०ग०)
४. कलेक्टर जिला (छ०ग०)
५. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ०ग०)
६. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी (छ०ग०)
७. एनआईसी शाखा छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को मण्डल के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
८. उप सचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, नया रायपुर (छ०ग०) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित। कृपया राजपत्र की १०० प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
९. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(याकुब खस्सा)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
नया रायपुर, दिनांक १५ / ०९ / २०१६

२० सितम्बर २०१६



उप सचिव,
१५/९/१६

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग